कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

कार्मिको का विवरण:–

S.N.	NAME AND POST	POSTING PLACE	DOB	JOURNEY PLACE AND PERIOD
1	VIPIN KUMAR JOSHI Senior Teacher Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOMASAR BIKANER	21-03-1964	DUSSEL DORF GERMANY DATE 07/08/2023 TO 22/09/2023 (47 DAYS)
2	SUMAN JOSHI Senior Teacher English	ICHRAJ DEVI PATAWARI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MOMASAR BIKANER	20-10-1969	GERMANY(DUSSELDORF) DATE 07/08/2023 TO 22/09/2023 (47 DAYS)
3	MUKH RAM BANA Senior Teacher Hindi	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BANA BIKANER	15-07-1993	मलेशिया, पेनांग DATE 06/09/2023 TO 13/09/2023 (08 DAYS)

शर्ते :–

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवें :–
  - ➢ कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - ➢ कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13320/विदेश यात्रा/2023/पार्ट–II/ दिनांक: 21 JUL 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर संभाग।
2– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बीकानेर।
3– सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोगामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4– संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5– संबंधित कार्मिक।
6– रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Joshi
Designation : Joint Director
Date: 2023.07.21 17:11:18 IST
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

RajKaj Ref No. : 4550949